

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुरयुगल पीठ

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

एवं माननीय श्री डी. आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 4827/2005

याचिकाकर्ता

1. अजय भरोस, पिता श्री आर आर भरोस

बालिग, निवासी इंद्रावती कालोनी रायपुर

2. लोकेश कुमार तिवारी पिता

श्री ललित कुमार तिवारी उम्र लगभग 35

वर्ष निवासी जी ई रोड रायपुर

3. शैलेश जैन, पिता श्री सुरेश जैन,

बालिग निवासी इंद्रावती कालोनी रायपुर

बनाम

उत्तरवादी

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, आबकारी मंत्रालय





डी के एस भवन, रायपुर

2. आयुक्त (आबकारी), रायपुर

2 ए कलेक्टर, रायपुर

3. नारद कुमार साहू, पिता श्री प्रेमलाल साहू

प्रोप्रईटर- फायर बार एंड रेस्टोरेंट,

इंद्रवती कालोनी, सिविल लाइंस रोड, रायपुर

---

उपस्थित श्री बी. पी. शर्मा, याचिकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता

श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता,

श्री उत्कर्ष वर्मा, विद्वान उप महाधिवक्ता, राज्य/ उत्तरवादी क्रमांक 1, 2 और 2 ए  
के लिए

श्री मनोज परांजपे, उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता

---

### मौखिक आदेश

(24 जनवरी 2006 को पारित)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मौखिक आदेश पारित किया गया:

**एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश :**



याचिकाकर्ता रायपुर शहर में इंद्रवती कॉलोनी के निवासी हैं। याचिकाकर्ताओं ने जनहित के लिए होने का दावा करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक सार्वजनिक कारण की शिकायत करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें कलेक्टर, रायपुर जिला, उत्तरवादी 2-ए द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 3 के पक्ष में 14-07-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष 2005-2006 के लिए एफ एल 3 लाइसेंस प्रदान करने के विरुद्ध शिकायत की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के तहत ऐसे होटलों के निवासियों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए या उनके मेहमानों या अन्य आकस्मिक आगंतुकों के भोजन और नाश्ते के साथ विदेशी मदिरा की बिक्री और उपभोग के लिए बार खोलने का आदेश दिया गया है, यह तर्क देते हुए कि उत्तरवादी 2-ए ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (संक्षेप में "अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उत्तरवादी 3 डी के पक्ष में लाइसेंस प्रदान किया है।

(2) याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क के समर्थन में, यह आरोप लगाया गया है कि अधिनियम की धारा 62 के तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में रानी सती माता मंदिर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर और पेट्रोल पम्प मौजूद है। उपरोक्त तर्क के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की है

“याचिका के पैरा 5 और 6 में उल्लिखित तथ्यों और आधारों को ध्यान में रखते

हुए, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है:

7.1 एक रिट और / या परमादेश की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें

उत्तरवादी प्रधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष



उत्तरवादी क्रमांक 3 को उक्त स्थान पर शराब बार खोलने के लिए विदेशी मदिरा-II लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करें।

7.2 एक याचिका और/ या परमादेश याचिका की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें संबंधित राज्य प्रधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि एफ एल -III लाइसेंस को तत्काल निरस्त करें। उत्तरवादी क्रमांक 3 पर कानून के प्रावधानों के विरुद्ध शराब की दुकान खोलने का आरोप लगाया गया।

7.3 याचिका के संदर्भ में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संबंधित उत्तरवादी को उक्त स्थल पर शराब बार जारी रखने पर प्रतिषेध के लिए रिट और / या निषेधाज्ञा की प्रकृति का आदेश जारी किया जाता है।

7.4 याचिका की व्यय भी स्वीकृत की जा सकती है।

7.5 कोई अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।”

(3) रिट याचिका का प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 राज्य प्राधिकरणों ने जवाब दाखिल करके विरोध किया, जवाब में कहा गया है कि चूंकि **तीसरे उत्तरवादी को दिया गया लाइसेंस एफ एल 3 लाइसेंस है**, इसलिए सलाहकार समिति के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। यह कहा गया है कि सलाहकार समिति से आमतौर पर केवल उन मामलों में परामर्श किया जाता है जहां लाइसेंस खुदरा दुकाने खोलने के लिए होता है और चूंकि तीसरे उत्तरवादी के पक्ष में दिया गया लाइसेंस होटल बार खोलने के लिए एफ एल 3 लाइसेंस है, ऐसा परामर्श आवश्यक नहीं है। होटल बार खोलने की अनुमति वाले स्थल के बीच की दूरी के संबंध में याचिकाकर्ताओं के तर्क को पूरा करते हुए, यह कहा गया है कि रानी सती माता मंदिर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पुलिस मुख्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर और पेट्रोल



पम्प होटल बार के स्थल से क्रमशः 465 मीटर, 380 मीटर, 415 मीटर, 195 मीटर और 102 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तीसरे उत्तरवादी ने जवाब दाखिल नहीं किया है।

(4) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. पी. ने तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 के पक्ष में एफएल लाइसेंस प्रदान करने से पहले, कलेक्टर जिला रायपुर ने धारा 62 (2) और अधिनियम के अनुसार गठित आबकारी सलाहकार समिति के गठन और कार्यों के संबंध में **नियमों के नियम II के तहत सलाहकार समिति से परामर्श नहीं किया।** विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियमों के उक्त नियम II में शराब की दुकान के प्रस्तावित स्थल से बनाए रखी जाने वाली दूरी निर्दिष्ट

की गई है। श्री बी. पी. शर्मा ने बताया कि यह सत्य है कि हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि

विश्वविद्यालय निषिद्ध दूरी के भीरत स्थित है और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि तीसरे उत्तरवादी के पक्ष में **एफ. एल. 3 लाइसेंस प्रदान करना वैधानिक नियम के अनिवार्य**

**प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है और केवल इसी आधार पर, रिट याचिका लाइसेंस** अभिखंडित किया जाना चाहिए।

(5) हमने श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री मनोज परांजपे, प्रतिवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है। वे आक्षेपित कार्यवाई का समर्थन करते हैं।

(6) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात हमारे निर्णय के एकमात्र मुद्दा यह उठता है कि क्या उत्तरवादी के पक्ष में दिए गए एफ. एल. लाइसेंस में न्यायिक पुनर्विलोकन के किसी अनुमेय आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। एफ. एल. लाइसेंस सहित लाइसेंस का अनुदान राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 62 (2)(1) के तहत प्रदत्त शक्ति के आधार पर परिसर में शराब की खपत के लिए खुदरा दुकान चलाने के लिए



खुदरा लाइसेंस देने के संबंध में विरचित वैधानिक नियमों के अंतर्गत आता है। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य ने अधिनियम की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में सक्षम सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए, जिन्हे आगे नियम 1 के उप-नियम (1) के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इस प्रकार है:

“1. दुकानों का स्थान। (1) किसी भी खुदरा दुकान को परिसर में शराब के उपभोग के लिए लाइसेंस नहीं दिया जायगा,-

(क) किसी बाजार में या उसके प्रवेश द्वार पर,

(ख) किसी मिल, कारखाने या अन्य स्थान के समीप, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं, मिल-स्वामी या श्रमिक के ऐसे नियोजक को प्रस्तावों पर अपनी आपत्तियाँ बताने का अवसर दिए बिना,

(ग) किसी पूजा स्थल, प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय, स्नान घाट, अस्पताल, अनुसूचित जाति के सदस्यों की, बस्ती, श्रमिक बस्ती, पेट्रोल पम्प, रेल्वे स्टेशन/ यार्ड या बस स्टैन्ड के पास राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, सिवाय जब ऐसी दुकान निम्नलिखित दूरी पर स्थित हो-

(i) ऐसे स्थान से 100 मीटर या अधिक दूरी पर, जहां ऐसा स्थान पिछली जनगणना के अनुसार दो लाख पचास हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर की सीमा के भीतर स्थित है,

(ii) ऐसे स्थान से 150 मीटर या उससे अधिक दूरी पर, जहां ऐसा स्थान किसी अन्य क्षेत्र स्थित हो,





(घ) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय के अलावा किसी शैक्षणिक संस्थान के निकट, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, सिवाय इसके कि ऐसी दुकान ऐसे राजमार्ग या संस्थान से 500 मीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हो।”

इसी प्रकार, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य ने नगरपालिका और छावनी क्षेत्रों में सलाहकार समितियों के गठन के लिए अधिनियम की धारा 62 (2) (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के आधार पर नियम विरचित किये गये हैं। उक्त नियमों के नियम ii का उप- नियम

(1) इस प्रकार है:

“II. नगरपालिका और छावनी क्षेत्रों में सलाहकार समितियों के कार्य, (1)

कलेक्टर, उपभोगता जनता को सीधे प्रभावित करने वाले और आबकारी विभाग के संगठन, अनुशासन या प्रक्रिया या लाइसेंसधारियों के चयन से संबंधित नहीं होने

वाले सभी महत्वपूर्ण आबकारी मामलों पर, और विशेष रूप से, किसी भी परिवर्तन करने से पहले, संबंधित नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों की सलाहकार समितियों से परामर्श करेगा।

(क) देशी शराब, मादक दवाओं और विदेशी शराब की बिक्री के लिए एफ.

एल. लाइसेंस के तहत आबकारी दुकानों की संख्या और क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में उनका वितरण, या

(ख) शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त दुकानों के स्थल, जिनका उपभोग परिसर में किया जा सकता है।”

(7) आइए सबसे पहले हम श्री बी पी शर्मा के इस तर्क का निपटारा करें कि उत्तरवादी

के पक्ष में एफ एल 3 लाइसेंस देने से पहले, कलेक्टर, रायपुर जिले को उपरोक्त नियम II के



उप-नियम (1) के तहत सलाहकार समिति से परामर्श करना चाहिए था। नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट, सादे और असंदिग्ध है और वे नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के आधार पर एक से अधिक अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं, नगरपालिका या छावनी क्षेत्र की सलाहकार समिति के साथ परामर्श केवल महत्वपूर्ण उत्पाद शुल्क मामलों के संबंध में अनिवार्य हो जाता है जो सीधे उपभोगता जनता को प्रभावित करते हैं। हमारी सुविचारित राय में, यदि कलेक्टर को सामान्य रूप से नीतिगत निर्णय को शामिल करते हुए लाइसेंस देने के लिए कुछ मानदंड और सिद्धांत निर्धारित करते हैं, तो उन्हें ऐसा केवल नगरपालिका या छावनी क्षेत्रों की सलाहकार समिति के परामर्श के बाद ही करना होगा, जैसा भी मामला हो यदि जिला कलेक्टर को आबकारी विभाग के संगठन, अनुशासन या प्रक्रिया के संबंध में या लाइसेंसधारियों के चयन हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में कोई निर्णय लेना है, तो स्पष्ट है कि उन्हें सलाहकार समिति से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. पी. शर्मा, उपर्युक्त नियमों के नियम II के उप-नियम (1) के खंड (ख) के प्रावधानों पर अवहेलना लेते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि परिसर में उपभोग हेतु मदिरा की बिक्री हेतु एफ एल 3 लाइसेंस उत्तरवादी क्रमांक 3 के पक्ष में प्रदान किया गया है, इसलिए सलाहकार समिति से परामर्श आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क पुष्ट नहीं है। यह सच है कि परिसर में उपभोग की जा सकने वाली शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त दुकानों के स्थल में परिवर्तन का प्रस्ताव है, तो अन्य बातों के अलावा सलाहकार समिति से परामर्श अनिवार्य हो जाता है। इस मामले में, हम जिला कलेक्टर के किसी भी आदेश से चिंतित नहीं हैं, जो परिसर में उपभोग के लिए शराब की बिक्री हेतु दुकान के स्थान में परिवर्तित की अनुमति देता है। तीसरे उत्तरवादी ने पहली बार एफ एल -3 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था।



और उसे लाइसेंस प्रदान किया गया है और इस मामले में दुकान के स्थल में परिवर्तन शामिल नहीं है। इसलिए, रायपुर जिले के कलेक्टर की विवादित कारवाई में इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता कि उन्होंने सलाहकार समिति से परामर्श करने में विफल रहे।

(8) तथापि, हम श्री बी. पी. शर्मा के दूसरे और अगले तर्क में काफी बल पाते हैं कि जिला कलेक्टर, रायपुर एक वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए अपेक्षित है, जिसका अर्थ है कि उसकी शक्तियों को विनियमित करने वाले अधिनियम या उसके तहत विरचित नियमों में निर्धारित मापदंडों और निर्देशों के भीतर। जिला कलेक्टर वैधानिक शक्ति का प्राप्तकर्ता होने के नाते अधिनियम और उसके तहत विरचित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुछ नहीं कर सकता है, खासकर यदि वे प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है, उत्तरवादी 1, 2 और 2 ए के उत्तर में कहा गया है कि रानी सती मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर और पेट्रोल पम्प होटल बार के स्थल से 465 मीटर, 105 मीटर और 102 मीटर की दूरी पर स्थित है। पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रासंगिक समय पर रायपुर शहर की जनसंख्या 2,50,000 से अधिक थी। चूंकि उपरोक्त तीन संस्थानों का अस्तित्व जिला कलेक्टर के लिए उत्तरवादी क्रमांक 3 के पक्ष में एफ एल 3 लाइसेंस देने में बाधा नहीं होगा। लेकिन, स्वीकृत रूप से है कि, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय होटल बार की स्थल से 380 मीटर की दूरी पर स्थित है और इसलिए यह नियमों के नियम-1 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। बेशक, यदि प्रस्तावित बार की स्थल हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से निषिद्ध दूरी के भीतर है, तो राज्य सरकार छूट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन, स्वीकृत रूप से, राज्य सरकार स्थानांतरित नहीं हुई और न ही राज्य सरकार ने 500 मीटर की निर्धारित दूरी के प्रस्थान और छूट में बार खोलने की अनुमति देने का कोई आदेश पारित किया है। परिणामी



स्थिति यह है कि कलेक्टर, रायपुर जिला ने नियमों के नियम- 1 के उप- नियम (1 ) के खंड (घ ) के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तीसरे उत्तरवादी के पक्ष में एफ. एल.- 3 लाइसेंस प्रदान किया है।

(9) परिणामस्वरूप और पूर्वोक्त कारणों से, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और कलेक्टर, रायपुर जिला द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में 3000/- रुपये की वाद-व्यय के साथ दिए गए एफ. एल.-3 लाइसेंस को अभिखंडित करते हैं। हालांकि, इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश उत्तरवादी द्वारा एफ. एल.-3 लाइसेंस के मंजूरी के लिए आवेदन करने के रास्ते में नहीं आएगा और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो कलेक्टर, रायपुर जिला के लिए कानून के अनुसार और इस आदेश के आलोक में ऐसे आवेदन से निपटने के लिए स्वतंत्र है।



सही/-  
मुख्य न्यायाधीश

सही/-  
दिलीप रावसाहेब देशमुख  
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित मन जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।